भारत सरकारकार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)\* \* \*

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या ：708

（दिनांक 16.08.2012 को उत्तर के लिए）

**संवेदनशील पदों का आवर्तन**

**708. श्री उपेन्‍द्र कुशवाहा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या केन्‍द्रीय सतर्कता आयुक्‍त (सीवीसी) ने दिनांक 01.05.2008 के परिपत्र संख्‍या 17/4/08 के द्वारा सभी केन्‍द्रीय सतर्कता अधिकारियों (सीवीसी) को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि संवेदनशील पदों पर नियुक्‍त अधिकारियों को 2-3 वर्षों के बाद आवर्तित कर दिया जाए ताकि वे निहित स्‍वार्थ उत्‍पन्‍न करने से बचें;

(ख) यदि हां, तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सीवीओ द्वारा डीओपीटी में पहचान किए गए संवेदनशील पदों का ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या निदेशक (कैंटीन) और जेएस एण्‍ड सीडब्‍ल्‍यूओ के पद संवेदनशील माने जाते हैं क्‍यों कि वे केन्‍द्रीय भण्‍डार का कामकाज देखते हैं जो कि वाणिज्यिक तौर पर कार्य करते है; और

(घ) यदि हां, तो केन्‍द्रीय भण्‍डार में उनके निहित स्‍वार्थ उत्‍पन्‍न होने से बचाने के लिए उनके आवर्तन हेतु क्‍या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वे. नारायणसामी)**

(क) : केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग ने संवेदनशील पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों के रोटेशन संबंधी अपने परामर्शी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले संगठनों को दिनांक 15.04.1999 एवं 02.11.2001 के अपने परिपत्र संख्‍या 98/वीजीएल/60 तथा दिनांक 01.05.2008 के परिपत्र संख्‍या 17/4/98 के द्वारा अनुदेश जारी किए थे । इन अनुदेशों के अनुसार, संगठनों को संवेदनशील पदों का पता लगाना था तथा इन पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों में निहित स्‍वार्थ की भावना विकसित होने से रोकने के लिए इन पदों पर प्रत्‍येक 2 या 3 वर्षों में रोटेशन स्‍थानांतरण करने थे ।

संवेदनशील पदों की पहचान करना तथा इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों का रोटेशन, एक सतत् प्रक्रिया है तथा आयोग के दिशा-निर्देशों के कार्यान्‍वयन को सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने संगठनों के सीवीओ को लिखा है ।

(ख) : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में संवेदनशील पद के रूप में पहचाने गए पदों का ब्‍यौरा अनुबंध-। पर है ।

(ग) एवं (घ) : चूंकि उप सचिव/निदेशक के पदों को या तो केन्‍द्रीय सचिवालय सेवा द्वारा या केन्‍द्रीय स्‍टॉफिंग योजना के अधिकारियों से भरा जाता है, तथा ऐसे अधिकारी सामान्‍यतया एक समय में पांच से अधिक वर्ष पूरा नहीं करते हैं, इसलिए इन पदों को, संवेदनशील पदों को पता लगाने वाली प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था । इस प्रकार, निदेशक (कैंटीन) तथा संयुक्‍त सचिव एवं मुख्‍य कल्‍याण अधिकारी के पद को संवेदनशील पद के रूप में पहचान नहीं की गई है ।

निदेशक (कैंटीन) के पद पर वर्तमान पदधारी 31.12.2010 से हैं तथा संयुक्‍त सचिव एवं मुख्‍य कल्‍याण अधिकारी के पद पर 03.08.2011 से हैं ।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-।

अपर सचिव (एस एण्‍ड वी) के प्रभार में आने वाले अनुभाग

|  |  |
| --- | --- |
| क्र.सं. | डेस्‍क/अनुभाग का नाम |
|  | अवर सचिव (एवीडी-।) (ए) |
|  | अवर सचिव (एवीडी-।) (बी) |
|  | अवर सचिव (एवीडी-।) (सी) |
|  | अवर सचिव (एवीडी-।) (डी) |
|  | अनुभाग अधिकारी (एवीडी-।) |
|  | अवर सचिव (एवीडी-IV/।।) |
|  | अनुभाग अधिकारी (एवीडी-IV) |
|  | अवर सचिव (एआईएस) |
|  | अनुभाग अधिकारी, (एस-।।) |
|  | अनुभाग अधिकारी, एआईएस (।) |

स्‍थापना अधिकारी एवं अपर सचिव के प्रभार में आने वाले अनुभाग/डेस्‍क

|  |  |
| --- | --- |
| क्र.सं. | डेस्‍क/अनुभाग का नाम |
|  | अवर सचिव (एसएम-।।) |
|  | अवर सचिव (एसीसी) |
|  | अवर सचिव (एफएयूएन) |
|  | अनुभाग अधिकारी, ईओ (एसएम-।) |
|  | अनुभाग अधिकारी, ईओ (एसएम-।।)(ए) |
|  | अनुभाग अधिकारी, ईओ (एसएम-।।)(बी) |
|  | अनुभाग अधिकारी, ईओ (एसएम-।।।)(ए) |
|  | अनुभाग अधिकारी, ईओ (एसएम-।।।)(बी) |
|  | अनुभाग अधिकारी, ईओ (एमएम-।) |
|  | अनुभाग अधिकारी, ईओ (एमएम-।।) |
|  | अनुभाग अधिकारी, ईओ (एसीसी)(ए) |
|  | अनुभाग अधिकारी, ईओ (एसीसी)(बी) |
|  | अनुभाग अधिकारी (एफएयूएन) |

संयुक्‍त सचिव (ई) के अंतर्गत आने वाले अनुभाग/डेस्‍क

|  |  |
| --- | --- |
| क्र.सं. | डेस्‍क/अनुभाग का नाम |
|  | अनुभाग अधिकारी (स्‍थापना-ख) |

संयुक्‍त सचिव (एटी एण्‍ड ए) के प्रभार में आने वाले अनुभाग/डेस्‍क

|  |  |
| --- | --- |
| क्र.सं. | डेस्‍क/अनुभाग का नाम |
|  | अवर सचिव (सीएस-।)(पी) |
|  | अवर सचिव (सीएस-।)(यू) |
|  | अवर सचिव (सीएस-।)(सीआर) |
|  | अवर सचिव (सीएस-।)(टी) |
|  | अवर सचिव (सीएस-।।)(ए) |
|  | अवर सचिव (सीएस-।।)(बी) |
|  | अनुभाग अधिकारी (सीएस-।)(पी) |
|  | अनुभाग अधिकारी (सीएस-।)(डी) |
|  | अनुभाग अधिकारी (सीएस-।)(यू) |
|  | अनुभाग अधिकारी (सीएस-।)(एस) |
|  | अनुभाग अधिकारी (सीएस-।)(ए) |
|  | अनुभाग अधिकारी (सीएस-।)(सीआर) |
|  | अनुभाग अधिकारी (सीएस-।)(ईआर/पीआर) |
|  | अनुभाग अधिकारी (सीएस-।।)(ए) |
|  | अनुभाग अधिकारी (सीएस-।।)(बी) |
|  | अनुभाग अधिकारी (सीएस-।।)(सी) |
|  | अनुभाग अधिकारी (एसआरएस-।) |
|  | अनुभाग अधिकारी (एसआरएस-।।) |
|  | अवर सचिव (प्रशासन) |
|  | अवर सचिव (समन्‍वय) |
|  | अवर सचिव (एटी) |
|  | डी.ओ. (एटी) |
|  | अनुभाग अधिकारी (एटी) |
|  | अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-।) |
|  | अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-।।)(ए) |
|  | अनुभाग अधिकारी (प्रशासन-।।)(बी) |
|  | अनुभाग अधिकारी (सतर्कता) |
|  | सचिव, सीसीएससीएसबी |
|  | सहायक सचिव, सीसीएससीएसबी |